

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजन न दय पारपरागप गवर्नर गवर्नर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं०-1139/36-1-13-11(सा०)/05 दिनांक: 30-08-2013 तथा पत्रिष्ठित शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या-1535/36-11(सा०)/05, दिनांक: 21-11-2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 654 अंक के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक के औसत अंक 1118 अंको पर दिनांक: 1-04-2023 से दिनांक: 30-9-2023 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भौति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्त:-रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 पर दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(1164-654)

-----X 4550=3548 प्रतिमाह

654

कर्मक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2022 से दिनांक: 31.3.2023 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	
				दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (3+5)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	7525	3548	8098	311
2	अर्द्ध-कुशल	5200.00	8600	4055	9255	356
3	कुशल-क	6200.00	10254	4835	11035	424

अधिसूचना संख्या-1130/छत्तीस-1-13-11(सा०)/05 दिनांक: 30 अगस्त 2013 के बिन्दु- 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यों के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक: से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगी। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार है:-

कर्मक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक देय मात्रानुपाती दरें।	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	158 रूपये प्रति हजार	
2	चिट लगाने का कार्य में	15.22 प्रति हजार बीड़ी	
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 358	रूपया 3.58
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 367	रूपया 3.67
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 412	रूपया 4.12
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 473	रूपया 4.73
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 552	रूपया 5.52
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 667	रूपय 6.67
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 742	रूपया 7.42

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 2 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

शुद्धि-पत्र

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

इस कार्यालय के पत्र संख्या-10-17 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 03-04-2023 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 के स्थान पर 654 अंक के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक के औसत अंक 1118 अंको पर दिनांक: 1-04-2023 से दिनांक: 30-9-2023 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भौति गणना करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्गत हो गया है।

उक्त आगणन में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 पर जारी किया जा रहा है। उक्त आगणन इसी सीमा तक संशोधित समझा जाए।

दृष्टान्त:-रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 पर दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(1164-676)

-----X 4550=3285 प्रतिमाह

676

कर्मक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2022 से दिनांक: 31.3.2023 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	
				दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (3+5)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550	7525	3285	7835	299
2	अर्द्ध-कुशल	5200	8600	3754	8954	344
3	कुशल-क	6200	10254	4476	10676	411

अधिसूचना संख्या-1130/छत्तीस-1-13-11(सा0)/05 दिनांक: 30 अगस्त 2013 के बिन्दु- 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक: से एक वर्ष के पश्चात बढ़ जायेगी। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार हैं:-

कर्मक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक देय मात्रानुपाती दरें।	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	158 रूपये प्रति हजार	
2	चिट लगाने का कार्य में	15.22 प्रति हजार बीड़ी	
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 358	रूपया 3.58
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 367	रूपया 3.67
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 412	रूपया 4.12
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 473	रूपया 4.73
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 552	रूपया 5.52
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 667	रूपया 6.67
जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 742	रूपया 7.42	

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कले श्रम आगणन उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या - 244-51 प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/15

दिनांक: 16/05/2023

प्रतिलिपि

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 2 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।